

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमू (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा)

मु.न. 14 / 2009

उनवान

1. पार्वतीदेवी पत्नि एस. एन. अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी बी-119 जनता कॉलोनी, जयपुर, जिला जयपुर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार तहसील चौमू, जिला जयपुर।
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक 10.05.2017


पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प विजयसिंहपुरा मे पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत भू प्रबंध विभाग द्वारा सैटलमेन्ट की कार्यवाही के दौरान राजस्व नक्शे में की गई त्रुटी / गलत इन्द्राज को दुरुस्त करवाने का अनुतोष चाहा है।

राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधान इस प्रकार है कि भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई भी राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें, इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि धारा 132 से 137 के प्रावधान वार्षिक अभिलेख से संबंधित है। धारा 132 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 में वार्षिक रजिस्टर को परिभाषित किया गया है।

धारा 136 विशुद्ध रूप से वार्षिक रजिस्टर में होने वाली लिपिकीय भूल / त्रुटि के सुधार तक ही सीमित है। भूप्रबंध के दौरान राजस्व नक्शे में की गयी त्रुटि का सुधार धारा 136 के परास में नहीं आता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत विजयसिंहपुरा में सुनाया गया।


(अशोक कुमार योशी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, चौमू (जयपुर)